[2022] 7 एस.सी.आर. 57

मोहम्मद इस्लाम व अन्य

बनाम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य

(2022 का दीवानी अपील सं. 5764)

23 अगस्त, 2022

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्तिगण]

न्यायिक पुनर्विलोकन – कब नहीं – ए.सी.पी. योजना की लागू होने की तिथि – बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 – बिहार राज्य द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 2003 में ए.सी.पी. योजना को 09.08.99 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिसूचित किया गया, जिसे उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.05 की अधिसूचना के माध्यम से अपनाया गया – उत्तरदाता सं. 1 द्वारा जारी पश्चातवर्ती अधिसूचना ने अधिसूचित किया कि ए.सी.पी. योजना केवल पूर्व अधिसूचना दिनांक 05.04.05 के निर्गमन के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू होगी – अपीलकर्ताओं-कर्मचारियों द्वारा 2011 में अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदाता सं. 1 को ए.सी.पी. योजना का लाभ 09.08.99 से भी लागू करने के निर्देश देने की मांग करते हुए चुनौती दी गई, विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएं निरस्त – अपील पर, अवधारितः अपीलकर्ता विद्युत बोर्ड के सेवा विनियमों द्वारा निर्देशित थे – बिहार राज्य द्वारा जारी सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी अधिसूचना विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर न तो स्वतः और न ही आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू थी जब तक कि उसे अपनाया न गया हो – यदि अपनाया भी गया, तो यह अपनाने की रीति और सीमा पर निर्भर करेगा – इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचना ने स्वयं स्पष्ट किया कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी – उत्तरदाता सं. 1 एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम है – अतः, उक्त अधिसूचना का मात्र निर्गमन इसके कर्मचारियों के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करेगा – अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि योजना उसी तिथि से लागू होनी चाहिए जिस तिथि से इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था – लागू होने के लिए चुनी गई तिथि का न्यायिक पुनर्विलोकन केवल तभी उत्पन्न होगा यदि तिथि का ऐसा चयन असद्भावी या परोक्ष उद्देश्य से हो – इसके अलावा, जब दिनांक 05.04.05 की अधिसूचना जारी की गई थी, तब

अपीलकर्ता सं. 1 को छोड़कर अन्य सभी अपीलकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके थे – यद्यपि, अपीलकर्ता सं. 1 दिनांक 31.07.08 तक सेवा में था, न तो उसने और न ही अन्यों ने 2011 तक कोई शिकायत उठाई क्योंकि यह स्पष्ट था कि बोर्ड ने अपने विवेक से योजना को 05.04.05 से अपनाया था – उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया – उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है – विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 – धारा 79(सी)|

अपील को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अवधारित किया: वह तथ्य जिस पर विवाद नहीं किया जा सकता है, यह है कि भले ही समय के एक पूर्व बिंदु पर विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार के बिहार सेवा संहिता को अपनाया था जिसके कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सभी सेवा शर्तें, नियम और अधिसूचनाएं उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू हो गई थीं, उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने तत्पश्चात विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अपने स्वयं के सेवा विनियम बनाए थे। अविवादास्पद स्थिति यह है कि, इसलिए, अपीलकर्ता उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के सेवा विनियमों द्वारा निर्देशित थे। इसलिए, अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य द्वारा जारी सेवा शर्तों से संबंधित अधिसूचना, यदि कोई हो, उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर न तो स्वतः और न ही आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू थी जब तक कि उसे उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड द्वारा अपनाया न गया हो। यदि अपनाया भी गया, तो यह अपनाने की रीति और सीमा पर निर्भर करेगा। इस स्थिति के स्पष्ट होने के साथ, बिहार राज्य द्वारा जारी दिनांक 25.06.2003 की अधिसूचना के अवलोकन से संकेत मिलेगा कि, अपीलकर्ताओं द्वारा जिसका लाभ मांगा जा रहा है वह उसमें प्रावधान के अनुसार 09.08.1999 से इसके लागू होने के संबंध में है। हालांकि, अधिसूचना प्रत्यक्ष रूप से उन कर्मचारियों की श्रेणी को इंगित करती है जिन पर यह लागू होगी और साथ ही उस श्रेणी को भी जिस पर यह लागू नहीं होती है। दिनांक 25.06.2003 की अधिसूचना स्वयं स्पष्ट करती है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। उत्तरदाता सं. 1 एक कानूनी बोर्ड है जो इसलिए एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम है। यदि वैसी स्थिति है, तो बिहार राज्य द्वारा दिनांक 25.06.2003 की अधिसूचना का मात्र निर्गमन ऐसी अधिसूचना के अधीन प्रदान किए गए लाभों के लिए उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करेगा। उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के

कर्मचारियों को ए.सी.पी. योजना का लाभ देने के मामले में दिनांक 05.04.2005 और 07.10.2005 की अधिसूचनाएं प्रासंगिक हो जाती हैं क्योंकि जब तक इसे अपनाया नहीं जाता तब तक कोई दावा नहीं किया जा सकता है। दिनांक 07.10.2005 की अधिसूचना के अवलोकन से संकेत मिलता है कि 2003 की ए.सी.पी. योजना को अपनाने का बोर्ड का निर्णय केवल बोर्ड की अधिसूचना सं. 25 दिनांक 05.04.2005 के निर्गमन के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए था। वही इंगित करता है कि उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने 2003 की ए.सी.पी. योजना को 09.08.1999 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं अपनाया जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए किया गया था बल्कि उस तिथि से भविष्यलक्षी प्रभाव दिया था जिस तिथि से उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना के माध्यम से इसे अपनाया था। अपीलकर्ता, किसी भी स्थिति में, यह तर्क नहीं दे सकते कि योजना उसी तिथि से लागू होनी चाहिए जिस तिथि से इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था जब उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के पास योजना को अपनाने या न अपनाने का विवेक था। जब बोर्ड ने अपनाने का निर्णय लिया था, ऐसी स्थिति में उसके पास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के विरुद्ध इसके लागू होने की तिथि को परिवर्तित करने का विवेक भी है। लागू होने के लिए चुनी गई तिथि पर कोई भी न्यायिक पुनर्विलोकन केवल तभी उत्पन्न होगा यदि तिथि का ऐसा चयन असद्भावी या परोक्ष उद्देश्य वाला प्रदर्शित किया जाए। वर्तमान मामले में, चुनी गई तिथि वह तिथि है जिस पर योजना को अपनाया गया था और उसका लाभ या हानि सभी कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे ऐसी तिथि को सीमा के किस ओर हैं। वर्तमान अपील में, यहाँ तक कि जिस तिथि को योजना अपनाने के लिए दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना जारी की गई थी, अपीलकर्ता सं. 1 को छोड़कर अन्य सभी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे। यद्यपि, अपीलकर्ता सं. 1 दिनांक 31.07.2008 तक सेवा में था, न तो अपीलकर्ता सं. 1 और न ही अन्य अपीलकर्ताओं या अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचकों ने वर्ष 2011 तक कोई शिकायत उठाई थी क्योंकि स्थिति स्पष्ट थी कि बोर्ड ने अपने विवेक से योजना को 05.04.2005 से अपनाया था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड द्वारा दायर प्रति शपथ पत्र में संकेत दिया गया है, संशोधित नियमावली 2006 तत्पश्चात 2003 की ए.सी.पी. योजना के कतिपय प्रावधानों को संशोधित करने के लिए लाई गई थी जो कतिपय संशोधनों के साथ 01.01.2009 से संशोधित ए.सी.पी. योजना 2010 को अपनाने के साथ 31.12.2008 के पश्चात समाप्त हो गई थी। अपीलकर्ताओं या अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचकों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शिकायत को सही रूप से स्वीकार नहीं किया

गया था। उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया और तत्पश्चात विधि के अनुसार निष्कर्ष पर पहुँचा है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [कंडिका 9-15][63-बी-ई; 64-ए-सी; 65-ए-जी; 66-ए]

भारत संघ और एक अन्य बनाम एस. धर्मलिंगम **(1994)1 एस.सी.सी. 179 : [1993] 3 अनुपूरक एस.सी.आर. 446 – संदर्भित।**

निर्णयज विधि संदर्भ

[1993] 3 अनुपूरक एस.सी.आर. 446 संदर्भित कंडिका 7

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2022 का दीवानी अपील सं. 5764।

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट अपील सं. 342/2018 में दिनांक 18.12.2018 के निर्णय और आदेशों से।

अमित पवन, आनंद नंदन, हसन जुबैर वारिस, सुचित सिंह रावत, सुश्री शिवांगी, आकर्ष, अधिवक्तागण, अपीलकर्ताओं के लिए।

नवीन प्रकाश, अभिषेक विकास, राज किशोर चौधरी, प्रणब प्रकाश, अधिवक्तागण, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय निम्नांकित न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया

ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति

1. अपीलकर्ता लेटर्स पेटेंट अपील सं. 342/2018 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 18.12.2018 के निर्णय से व्यथित होने का दावा करते हुए इस न्यायालय के समक्ष हैं। उक्त निर्णय के माध्यम से, खंडपीठ ने यहाँ के अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को निरस्त कर दिया है और उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2011 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 13837 में पारित दिनांक 09.01.2018 के निर्णय को पुष्ट किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को उन समरूपी याचिकाओं के साथ निरस्त कर दिया था जिन पर विचार किया गया था और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया था।

2. अपीलकर्ता सं. 1 एक कर्मचारी था जो 31.07.2008 को उत्तरदाता सं. 1 – बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। अपीलकर्ता सं. 10 और 11 मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी हैं। अपीलकर्ता सं. 10, 11 के जीवनसाथी और अन्य अपीलकर्ता 31.01.2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2011 में दायर अपनी विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं के माध्यम से उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड को 09.08.1999 से प्रभावी सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (संक्षेप में ए.सी.पी.) का लाभ लागू करने और उसके परिणामस्वरूप सभी मौद्रिक लाभों का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की थी। उक्त राहत उत्तरदाता सं. 1 विद्युत बोर्ड द्वारा जारी संकल्प सं. 8165 दिनांक 22.09.2005 और अधिसूचना दिनांक 07.10.2005 को अभिखंडित करके प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई थी।

3. वाद की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ताओं को उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड में कनीय अभियंताओं/ओवरसियरों के रूप में एक समय की अवधि के दौरान नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात सहायक अभियंताओं के पद पर प्रोन्नत किया गया था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता 31.12.2000 से 31.01.2005 के बीच विभिन्न तिथियों पर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए थे, और जहाँ तक यहाँ के अपीलकर्ताओं का संबंध है, अपीलकर्ता सं. 1 को छोड़कर जो 31.07.2008 को सेवानिवृत्त हुआ था, अन्य सभी 31.01.2005 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे। जब यह स्थिति थी, बिहार सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से 25.06.2003 को, बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, (संक्षेप में 'ए.सी.पी. योजना') अधिसूचित की। इसे बिहार राज्य द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 25.06.2003 को पेश किया गया था लेकिन योजना ने प्रावधान किया कि यह 09.08.1999 से लागू होगी। अधिसूचना ने विनिर्दिष्ट किया था कि योजना राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों और राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त

संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। इस प्रकार, योजना, स्वतः ही उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड पर तब तक लागू नहीं थी जब तक कि वे इसे अपनाना नहीं चुनते। उस दृष्टिकोण में, उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना के माध्यम से 2003 की ए.सी.पी. योजना को अपनाया। उसके पश्चात, दिनांक 07.10.2005 की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अधिसूचित किया गया था कि उक्त 2003 की ए.सी.पी. योजना केवल पूर्व अधिसूचना दिनांक 05.04.2005 के निर्गमन के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए ही लागू होगी। यह स्पष्ट करने के उद्देश्य से था कि योजना हालांकि अपनाई गई थी लेकिन 09.08.1999 से नहीं थी जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में था।

4. यद्यपि, इसके लागू होने की तिथि को स्पष्ट करने वाली प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05.04.2005 और पश्चातवर्ती अधिसूचना दिनांक 07.10.2005 को अधिसूचित की गई थी, ऐसी तिथि को, जहाँ तक यहाँ के अपीलकर्ताओं का संबंध है, अपीलकर्ता सं. 1 को छोड़कर अन्य सभी अपीलकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके थे और भले ही अपीलकर्ता सं. 1 सेवा में था और 31.07.2008 को सेवानिवृत्त हुआ था, उन्होंने वर्ष 2011 तक इसके संबंध में कोई शिकायत नहीं की जब विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की गई थी। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में, उत्तरदाताओं को सूचित किया गया था और उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने 05.04.2005 से 2003 की ए.सी.पी. योजना की प्रयोज्यता पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत आपत्ति दर्ज की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विरोधी तर्कों पर ध्यान देने के पश्चात, उल्लेख किया था कि योजना तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड इसे अपना नहीं लेता। उस आलोक में, यह उल्लेख करते हुए कि योजना को अपनाना 05.04.2005 से था, अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस लाभ को भी ध्यान में रखा था जो अपीलकर्ताओं ने पूर्व योजना के अधीन प्राप्त किया था जो प्रचलन में थी। इस तथ्य को भी कि अपीलकर्ताओं ने

उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना को सेवा से सेवानिवृत्त होने तक और उसके काफी समय बाद तक चुनौती नहीं दी थी, विनिर्दिष्ट आदेश याचकों के विरुद्ध माना गया था।

5. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी मामले के इन सभी पहलुओं पर विचार किया था और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को पुष्ट करते हुए अपीलों को निरस्त कर दिया था। इसलिए, अपीलकर्ता, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त समवर्ती दृष्टिकोण से व्यथित होकर इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष हैं।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अपील के कागजातों का अवलोकन किया गया।

7. प्रारंभ में, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और साथ ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस तथ्य का संदर्भ दिया है कि उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने तब तक ए.सी.पी. योजना 2003 को नहीं अपनाया था जब तक कि दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। उस समय तक अधिकांश अपीलकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्हें पूर्व योजना से लाभ हुआ था और इस प्रकार वे दोहरे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे, यह भी उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ऐसे निष्कर्ष को आक्षेपित करते हुए बिहार सरकार द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से जारी दिनांक 23.03.2006 की अधिसूचना पर भरोसा करने की मांग की है, जिसे 2019 के आई.ए. सं. 115835 के साथ एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह इंगित करने के लिए कि राज्य सरकार ने यह दर्शाते हुए कि योजना 09.08.1999 से प्रभावी होगी, यह स्पष्ट किया था कि चयन श्रेणी/समय-बद्ध प्रोन्नति योजना के अधीन प्रदान की गई वित्तीय प्रगति जो 01.01.1996 से पूर्व लागू हुई थी, उसे ए.सी.पी. योजना के उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रगति नहीं माना जाएगा। उस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने ***भारत संघ और अन्य बनाम एस. धर्मलिंगम (1994) 1 एस.सी.सी. 179*** के मामले में निर्णय पर भी भरोसा किया जिसमें यह अवधारित किया गया है कि प्राप्त पूर्व लाभ

पश्चातवर्ती पात्रता के लिए अवरोध नहीं होगा और नियम को दोहरा लाभ प्रदान करने वाला नहीं माना जा सकता है।

8. उक्त पहलू पर तर्क को इंगित करने के पश्चात, हमारी यह राय है कि उक्त मुद्दा केवल तभी प्रासंगिक होगा यदि प्रथम दृष्टया न्यायालय संतुष्ट हो कि ए.सी.पी. योजना 2003 को उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर 09.08.1999 से लागू माना गया है जैसा कि सरकारी सेवकों पर लागू किया गया था, जिसके लाभ की मांग यहाँ अपीलकर्ताओं द्वारा की जा रही है। अतः, मामले के इस पहलू की जांच करना आवश्यक है कि वह तिथि कौन सी है जिस पर योजना उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होगी।

9. उस संबंध में, वह तथ्य जिसे विवादित नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि भले ही समय में एक पूर्व बिंदु पर विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार के बिहार सेवा संहिता को अपनाया था, जिसके कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सभी सेवा शर्तें, नियम और अधिसूचनाएं उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू हो गई थीं, उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने उसके पश्चात विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अपने स्वयं के सेवा विनियम बनाए थे। निर्विवाद स्थिति यह है कि, इसलिए, अपीलकर्ता उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के सेवा विनियमों द्वारा निर्देशित थे। इसलिए, बिहार राज्य द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए जारी की गई सेवा शर्तों से संबंधित अधिसूचना, यदि कोई हो, उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर न तो *स्वतः* और न ही *यथावश्यक परिवर्तनों सहित* लागू थी, जब तक कि उसे उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड द्वारा अपनाया न गया हो। यहाँ तक कि यदि अपनाया भी गया हो, तो यह अपनाने के तरीके और सीमा पर निर्भर करेगा।

10. इस स्थिति के स्पष्ट होने के साथ, बिहार राज्य द्वारा जारी दिनांक 25.06.2003 की अधिसूचना के अवलोकन से संकेत मिलेगा कि अपीलकर्ताओं द्वारा उसी के लाभ की मांग इसमें किए गए प्रावधान के अनुसार 09.08.1999 से इसकी प्रयोज्यता के संबंध में की जा

रही है। हालांकि, अधिसूचना प्रत्यक्ष रूप से उन कर्मचारियों के वर्ग को इंगित करती है जिन पर यह लागू होगी और साथ ही उस वर्ग को भी जिस पर यह लागू नहीं होती है। प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

> "इसे बिहार राज्य सरकार के समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के सभी नियमित कर्मचारियों तक विस्तारित किया जाएगा। इसे राज्य सरकार के एक विशेष आदेश द्वारा, समूह 'क' के एकल पदों के धारकों पर भी लागू किया जा सकता है। **यह राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों और राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।"**
>
> **(बल दिया गया है)**

11. इसके अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि, उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर इसकी अपनी सेवा शर्तों की प्रयोज्यता से संबंधित विधिक स्थिति के अतिरिक्त, दिनांक 25.06.2003 की अधिसूचना स्वयं स्पष्ट करती है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। निर्विवाद स्थिति यह है कि उत्तरदाता सं. 1 एक कानूनी बोर्ड है जो इसलिए एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम है। यदि वह स्थिति है, तो बिहार राज्य द्वारा दिनांक 25.06.2003 की अधिसूचना का मात्र निर्गमन ऐसी अधिसूचना के अधीन प्रदान किए गए लाभों के लिए उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करेगा। उसी आलोक में, उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को ए.सी.पी. योजना का लाभ प्रदान करने के मामले में दिनांक 05.04.2005 और 07.10.2005 की अधिसूचनाएं प्रासंगिक हो जाती हैं क्योंकि जब तक इसे अपनाया नहीं जाता तब तक कोई दावा नहीं किया जा सकता है। उस संबंध में, दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी 3) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि बोर्ड द्वारा गठित समिति ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की थीं जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया

था और उसके उपरांत 'चयन श्रेणी और समय-बद्ध प्रोन्नति' की तत्कालीन विद्यमान प्रणाली को 'सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना' से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ए.सी.पी. योजना के उद्देश्य के लिए वेतनमान बाद में अधिसूचित किया जाना था। यद्यपि, ए.सी.पी. योजना को अपनाने वाली दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना अधिसूचित की गई थी, उसके तुरंत पश्चात दिनांक 07.10.2005 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी 4) जारी की गई थी जो निम्नानुसार है:

"बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना

(सामान्य प्रशासन विभाग)

अधिसूचना

अधिसूचना XVIII/ विविध-932/2003/108/ दिनांक 7.10.2005

बोर्ड के संकल्प सं. 8165 दिनांक 22.9.2005 के अनुसरण में, बोर्ड ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी) के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, **बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 को केवल बोर्ड की अधिसूचना सं. 25 दिनांक 5.4.2005 के निर्गमन के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए अपनाने का निर्णय लिया है। बोर्ड की अधिसूचना सं. 25 दिनांक 5.4.2005 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएगी।**

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से

हस्ता/-

(विश्वनाथ प्रसाद)

सचिव"

(बल दिया गया है)

12. दिनांक 07.10.2005 की अधिसूचना के अवलोकन से संकेत मिलता है कि 2003 की ए.सी.पी. योजना को अपनाने का बोर्ड का निर्णय केवल बोर्ड की अधिसूचना सं. 25 दिनांक 05.04.2005 के निर्गमन के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए ही था। वही इंगित करता है कि उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने 2003 की ए.सी.पी. योजना को 09.08.1999 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं अपनाया, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए किया गया था, बल्कि उस तिथि से भविष्यलक्षी प्रभाव दिया था जिस तिथि से उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड ने दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना के माध्यम से इसे अपनाया था।

13. यदि वह स्थिति है, तो अपीलकर्ता, किसी भी स्थिति में, यह तर्क नहीं दे सकते कि योजना उसी तिथि से लागू होनी चाहिए जिस तिथि से इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, जब उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड के पास योजना को अपनाने या न अपनाने का विवेक था। जब बोर्ड ने अपनाने का निर्णय लिया था, ऐसी स्थिति में उसके पास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के विरुद्ध इसके लागू होने की तिथि को परिवर्तित करने का विवेक भी है। लागू होने के लिए चुनी गई तिथि पर कोई भी न्यायिक पुनर्विलोकन केवल तभी उत्पन्न होगा यदि तिथि का ऐसा चयन असद्भावी या परोक्ष उद्देश्य वाला प्रदर्शित किया जाए। वर्तमान वाद में, चुनी गई तिथि वह तिथि है जिस पर योजना को अपनाया गया था और उसका लाभ या हानि सभी कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे ऐसी तिथि को सीमा के किस ओर हैं।

14. वर्तमान अपील में जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यहाँ तक कि जिस तिथि को योजना अपनाने के लिए दिनांक 05.04.2005 की अधिसूचना जारी की गई थी, अपीलकर्ता सं. 1 को छोड़कर अन्य सभी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे। यद्यपि, अपीलकर्ता सं. 1 दिनांक 31.07.2008 तक सेवा में था, न तो अपीलकर्ता सं. 1 और न ही अन्य अपीलकर्ताओं या अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचकों ने वर्ष 2011 तक कोई शिकायत उठाई थी क्योंकि स्थिति स्पष्ट थी कि बोर्ड ने अपने विवेक से योजना को 05.04.2005 से अपनाया

था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उत्तरदाता सं. 1-विद्युत बोर्ड द्वारा दायर प्रति शपथ पत्र में संकेत दिया गया है, संशोधित नियमावली 2006 तत्पश्चात 2003 की ए.सी.पी. योजना के कतिपय प्रावधानों को संशोधित करने के लिए लाई गई थी जो कतिपय संशोधनों के साथ 01.01.2009 से संशोधित ए.सी.पी. योजना 2010 को अपनाने के साथ 31.12.2008 के पश्चात समाप्त हो गई थी। यदि वाद के इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, तो अपीलकर्ताओं या अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचकों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शिकायत को सही रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

15. उस आलोक में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.01.2018 के निर्णय और खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 18.12.2018 के निर्णय के अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि उच्च न्यायालय ने वाद के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और तत्पश्चात विधि के अनुसार निष्कर्ष पर पहुँचा है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. उस दृष्टि में, यह अपील गुणदोष विहीन होने के कारण तदनुसार निरस्त की जाती है, जिसमें लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए हुए माने जाएंगे।

दिव्या पांडे अपील निरस्त।

(सहायता द्वारा: दीपक पंवार, एल.सी.आर.ए.)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।